



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062024-254663
CG-DL-E-12062024-254663

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2140]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2024/ज्येष्ठ 22, 1946

No. 2140]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2024/JYAISHTHA 22, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

का.आ. 2242(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'केरल सहकारी जमा गारंटी कोष बोर्ड' (पैन: AANFK3180E), केरल सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(क) केरल सरकार से प्राप्त अंशदान

(ख) केरल सहकारी जमा गारंटी योजना के पैराग्राफ 2(ट) में परिभाषित सोसाइटी (सोसाइटियों) से प्राप्त अंशदान

(ग) बैंक जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि केरल सहकारी जमा गारंटी कोष बोर्ड –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में

अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के

प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्षों 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए क्रमशः प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 51/2024 फा. सं. 300196/43/2018-आईटीए-1]

कास्त्रो जयप्रकाश टी. , अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।